सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 18, गुरूवार, शाके 1943-दिसम्बर 09, 2021
Agrahayana 18, Thursday , Saka 1943- December 09, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 09, 2021

जी.एस.आर.384 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 23.05.2018 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 से संलग्न अनुसूची-I में, शीर्ष ग्रुप क-VI [पैरा चिकित्सा संवर्ग(चिकित्सा)], के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 8 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

‘‘

8	प्रयोगशाला सहायक	100%	1. मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा; और 2. राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। तथापि, एक बारीय उपाय के रूप में, वे भी, जिनके पास कोई मान्यताप्राप्त वृत्तिक अर्हता नहीं है किन्तु राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा राज्य सरकार के किसी अस्पताल की प्रयोगशाला में संविदा पर या सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से प्रयोगशाला तकनीशियन या प्रयोगशाला सहायक के रूप में तीन वर्ष का न्यूनतम अनुभव रखते हैं, दिनांक 29.05.2018 द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला	-	-	-

			सहायक के पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। ऐसे समस्त चयनित अभ्यर्थियों को छह माह से अनिम्न कालावधि का कोई ब्रिज कोर्स करना होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये और ऐसा ब्रिज कोर्स नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर-भीतर पूर्ण करना होगा।			

"

[सं. 2(1)डीओपी/ए-।।/82 पार्ट ।।]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
जय सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.-II
NOTIFICATION
Jaipur, December 09, 2021

G.S.R.384 .-In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service (IInd Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 23.05.2018.

2. **Amendment of Schedule-I.-** In Schedule-I appended to the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965, under the heading Group A-VI [Para Medical Cadre(Medical)], the existing serial number 8 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-
‘‘

8.	Lab Assistant	100%	1. Senior Secondary with Science from recognised Board or its equivalent examination; and 2. Diploma in Medical Laboratory Technology from an institute recognized by the State Government. However, as one time measure, those who do not possess any recognised professional qualification but passed secondary examination from a board recognised by the State Government and having minimum three year’s experience of service as Laboratory Technician or Laboratory Assistant in State Government Hospital Laboratory on contract basis or	_	_	_

			through Service Provider Agency shall also be eligible for the recruitment to the post of Laboratory Assistant advertised vide dated 29.05.2018. All such selected candidates shall have to undergo a bridge course of not less than six months duration, as may be specified by the State Government and such a bridge course must be completed within two years from the date of appointment.			

''

[No. 2(1)DOP/A-II/82 pt. II]
By order and in the name of the Governor,

JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.